उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-3

संख्या-5/2017/700/37-3-2017-9(82)/2004

लखनऊः दिनांक 13 सितम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

डा0 एस0एन0 सिंह, तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, गोण्डा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा डास्प अन्तर्गत बिना कोटेशन सामानों एवं प्रतिबन्धित दवाओं का क्रय किये जाने आदि की अनियमितताओं के आरोपों के लिए कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4336/37-1-05-9(82)/2004, दिनांक 16-01-2006 द्वारा उनके विरूद्व सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा उक्त के संचालनार्थ संयुक्त निदेशक (कुक्कुट), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा कतिपय कारणों के चलते जॉच पूर्ण कराकर अभी तक आख्या उपलब्ध नही करायी गयी है।

2- अतएव एतद्द्वारा डा0 एस0एन0 सिंह, तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, गोण्डा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में संयुक्त निदेशक (कुक्कुट), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर संयुक्त निदेशक (कुक्कुट रोग नियंत्रण), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने के श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे

प्रमुख सचिव।

संख्या-5/2017/623(1) /37-3-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1)- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2)- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(3)- जॉच अधिकारी/ संयुक्त निदेशक (कुक्कुट रोग नियंत्रण), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण की जॉच कराकर जॉच आख्या 01 माह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(4)- सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5)- पशुधन अनुभाग-1,

(6)- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

वेदप्रकाश सिंह राजपूत

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।